प्रकाशन हेतु अनुमोदित

उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ : बिलासपुर

युगल पीठ : : माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश एवं माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

रिट याचिका सिविल क्रमांक 1245/2010

याचिकाकर्ता: **मेसर्स फिल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड**

बनाम

उत्तरवादी: **भारत संघ और अन्य**

आदेश हेतु विचारार्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

मैं सहमत हूं

सही/-

आर.एन. चंद्राकर

न्यायाधीश

दिनांक 19 अक्टूबर, 2010 को सूचिबद्ध किया गया:

सही/-

धीरेन्द्र मिश्रा

न्यायाधीश

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

<u>उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ : बिलासपुर</u>

युगल पीठ : माननीय श्री धीरेन्द्र मिश्रा, न्यायाधीश एवं माननीय श्री आर.एन. चंद्राकर, न्यायाधीश

<u>रिट याचिका सिविल क्रमांक 1245/2010</u>

याचिकाकर्तागण: मेसर्स फिल इस्पात प्राइवेट लिमिटेड, कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनी, व्यवसाय स्थान ग्राम दिघोरा, मेड़पार छोटा, डाकघर मुरु, थाना तखतपुर, छत्तीसगढ़, 495220, द्वारा निदेशक श्री निमिष कुमार भोजानी, पिता स्वर्गीय चुन्नीलाल ठाकर, उम्र लगभग 47 वर्ष, जो भारत के नागरिक हैं।

बनाम

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उत्तरवादी:

1. भारत संघ द्वारा सचिव, वित्त मंत्रालय राजस्व विभाग नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली 110 001
2. सदस्य (केन्द्रीय उत्पाद शुल्क) केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली 110001।
3. मुख्य आयुक्त, सीमा शुल्क एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्क (भोपाल क्षेत्र), 48, प्रशासनिक क्षेत्र, अरेरा हिल्स, होशंगाबाद, रोड, भोपाल-462011, मध्य प्रदेश।
4. आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क एवं सीमा शुल्क, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क भवन, धमतरी रोड, टिकरापारा, रायपुर, छत्तीसगढ़।

उपस्थित: याचिकाकर्ता की ओर से श्री कार्तिक कुर्मी के साथ श्री धर्मेश श्रीवास्तव

उत्तरवादीगणो की ओर से श्री भीष्म किंगर, अधिवक्ता

<u>आदेश</u>

(19 अक्टूबर, 2010 को पारित)

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश न्यायमूर्ति धीरेन्द्र मिश्रा द्वारा पारित किया गया।

1. मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता केंद्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ के अध्याय-72 के अंतर्गत आने वाले स्पंज आयरन के निर्माण में लगा हुआ है। रायपुर केंद्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्तालय के अधिकारियों द्वारा 31 जुलाई, 2009 को करदाता के परिसर की तलाशी ली गई और बिना शुल्क भुगतान के गुप्त रूप से तैयार माल की निकासी का खुलासा करने वाले आपत्तिजनक दस्तावेज़ बरामद किए गए। 13.6 लाख रुपये की शुल्क चोरी का अनुमान लगाया गया था। करदाता ने एक दायित्व के संबंध में पूरी राशि शुल्क स्वेच्छा से जमा कर दी। मुख्य आयुक्त ने यह विचार करते हुए कि बिना चालान के और शुल्क के भुगतान के बिना माल को हटाना अधिसूचना संख्या 32/2006 सी.ई. (एनटी) दिनांक 30.12.2006 (जिसे आगे "अधिसूचना" कहा जाएगा) के कंडिका-1 के खंड (ए) के तहत अपराध है, केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (संक्षेप में "बोर्ड") को एक प्रस्ताव भेजा जिसमें अधिसूचना के तहत कुछ प्रतिबंध लगाने की सिफारिश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

की गई थी और इसके अनुसरण में, बोर्ड ने अनुलग्नक पी/3 के आक्षेपित आदेश को पारित कर दिया।

2. याचिकाकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (अनुलग्नक पी/2) की धारा 37 की संवैधानिक वैधता पर इस आधार पर प्रश्न उठाया है कि इसमें अत्यधिक प्रत्यायोजन का दोष है। याचिकाकर्ता ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम 2002 के नियम 12, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के नियम 12 और अधिसूचना (अनुलग्नक पी/2) पर भी इस आधार पर प्रश्न उठाया है कि ये केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 के अधिकार क्षेत्र से बाहर हैं, और दिनांक 4.1.2010 के आदेश (अनुलग्नक पी/3) को शून्य और अप्रभावी घोषित करके उसे अभिखण्डित करने के लिए उचित निर्देश देने का अनुरोध किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (संक्षेप में "अधिनियम, 1944") की धारा 37, केंद्र सरकार को अधिनियम के प्रयोजनों को क्रियान्वित करने के लिए नियम बनाने का अधिकार देती है। उप-धारा (1) के अंतर्गत शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, धारा 37 उसमें उल्लिखित विशिष्ट उद्देश्यों/शर्तों से संबंधित है जिनके लिए नियम बनाए जा सकते हैं।

4. केन्द्र सरकार ने अधिनियम, 1944 की धारा 37 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 बनाए। सेनवैट क्रेडिट नियम,

2002 और सेवा कर क्रेडिट नियम, 2002 का अधिक्रमण करते हुए अधिनियम, 1944 की धारा 37 और वित्त अधिनियम, 1994 की धारा 94 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 भी बनाए गए हैं।

5. नियम 2002 का नियम 12सीसी, केन्द्र सरकार को उत्पाद शुल्क के भुगतान में चूक और चोरी को रोकने के लिए, डीलर के मामले में पंजीकरण के निलंबन सहित प्रतिबंधों की प्रकृति, वापस ली जाने वाली सुविधाओं के प्रकार और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश जारी करने की प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हुए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का अधिकार देता है। नियम 2004 का नियम 12एए, केन्द्र सरकार को प्रतिबंधों की प्रकृति, जिसमें डीलर के मामले में सेनवैट क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध और पंजीकरण का निलंबन, वापस ली जाने वाली सुविधाओं का प्रकार और बोर्ड द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसे आदेश जारी करने की प्रक्रिया शामिल है, को निर्दिष्ट करते हुए आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना जारी करने का अधिकार देता है, ताकि इन नियमों में निर्दिष्ट सेनवैट क्रेडिट के प्रावधानों के दुरुपयोग को रोका जा सके।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

6. केंद्र सरकार ने नियम 2002 के नियम 12सीसी और नियम 2004 के नियम 12एए के अंतर्गत जारी अधिसूचना के माध्यम से अधिसूचित और घोषित किया है कि जहाँ निर्माता, प्रथम चरण या द्वितीय चरण का व्यापारी या कोई निर्यातक,

जिसमें व्यापारी निर्यातक भी शामिल है, प्रथम दृष्टया अधिसूचना के खंड (1) में उल्लिखित किसी भी अपराध में जानबूझकर संलिप्त पाया जाता है, वहाँ बोर्ड को सुविधाएँ वापस लेने और खंड (2) में वर्णित प्रतिबंध लगाने का अधिकार है। खंड (3) अधिसूचना के लागू होने के लिए 10 लाख रुपये से अधिक शुल्क या सेनवैट क्रेडिट चोरी की मौद्रिक सीमा निर्धारित करता है, और खंड (4) अधिसूचना के तहत आगे बढ़ने के लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया निर्धारित करता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. सर्वप्रथम, उत्तरवादी के विद्वान अधिवक्ता श्री भीष्म किंगर ने प्रस्तुत किया कि डब्ल्यू.पी. (सी) संख्या 2696/10, मेसर्स रजत इस्पात प्राइवेट लिमिटेड बनाम भारत संघ एवं अन्य में याचिकाकर्ता ने अधिनियम, 1944 की धारा 37; नियम 2002 के नियम 12सीसी; नियम 2004 के नियम 12एए तथा 30 दिसंबर, 2006 की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी, तथा इस न्यायालय द्वारा 9 सितंबर, 2010 के विस्तृत आदेश द्वारा इसे खारिज कर दिया गया है तथा उनकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा गया है।

8. याचिकाकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा उपरोक्त तथ्य पर कोई विवाद नहीं किया गया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता को सुनने और रिट याचिका में याचिकाकर्ता द्वारा उठाए गए आधारों की सावधानीपूर्वक जांच करने और मेसर्स रजत इस्पात प्राइवेट लिमिटेड (सुप्रा) में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अध्ययन करने के बाद, हम इस राय पर पहुंचे हैं कि इस न्यायालय ने उस याचिका में उठाए गए इन्हीं आधारों पर विचार करने के बाद याचिका को खारिज कर दिया है और इसकी संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा है। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस प्रश्न पर पुनर्विचार के लिए कोई नया आधार नहीं दिया गया है और इसलिए, मेसर्स रजत इस्पात प्राइवेट लिमिटेड में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश से सहमत होते हुए, अधिनियम, 1944 की धारा 37; नियम 2002 के नियम 12सीसी; नियम 2004 के नियम 12 और दिनांक 30 दिसंबर, 2006 की अधिसूचना की संवैधानिक वैधता की चुनौती को खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. याचिकाकर्ता ने अनुलग्नक पी/3 के आदेश को भी चुनौती दी है जिसके तहत नियम 8(1) के तहत याचिकाकर्ता को उत्पाद शुल्क के मासिक भुगतान की सुविधा वापस ले ली गई है और करदाता को दिनांक 11.1.2010 से 31.3.2010 तक माल की निकासी के समय प्रत्येक खेप के लिए उत्पाद शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। इसी प्रकार, नियम 3(4) के तहत दिए गए सेनवैट क्रेडिट के उपयोग से उत्पाद शुल्क का भुगतान दिनांक 11.1.2010 से 31.3.2010 तक

बंद करने का आदेश दिया गया है और करदाता को सेनवैट क्रेडिट का उपयोग किए बिना उत्पाद शुल्क का भुगतान करना आवश्यक है। हालांकि, उन्हें इस अवधि के दौरान संबंधित कारखानों में प्राप्त माल पर सेनवैट क्रेडिट लेने की अनुमति दी गई है, जिसका उपयोग उपरोक्त अवधि समाप्त होने के बाद संबंधित कारखानों से निकाले गए माल पर शुल्क के भुगतान के लिए किया जा सकता है। करदाता को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह उन मुख्य इनपुटों की प्राप्ति निपटान, उपभोग और सूची का अभिलेख बनाए रखे जिन पर दिनांक 11.1.2010 से दिनांक 28.2.2010 तक सेनवैट क्रेडिट नहीं लिया गया है। आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि करदाता, कारखाने में मुख्य इनपुटों की प्राप्ति के चौबीस घंटे के भीतर, जिन पर सेनवैट क्रेडिट लिया गया है या नहीं लिया गया है, क्षेत्राधिकार प्राप्त केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधीक्षक को सूचित करेगा और इसे अगले 48 घंटों तक सत्यापन के लिए उपलब्ध रखा जाना चाहिए। यह प्रतिबंध दिनांक 11.1.2010 से दिनांक 28.2.2010 तक की अवधि के लिए लागू रहेगा। करदाता को यह भी सूचित किया गया है कि यदि वे उपर्युक्त प्रतिबंधों का उल्लंघन करते हुए माल की निकासी करते हैं, तो उक्त माल को केंद्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 12सीसी के प्रावधानों के उल्लंघन में निकासी माना जाएगा और इस संबंध में कानून में प्रावधान के अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने 'अनुलग्नक पी/3' के आदेश को इस आधार पर चुनौती दी है कि उक्त आदेश द्वारा माल के अनुसार शुल्क भुगतान पर प्रतिबंध और सेनवैट क्रेडिट के उपयोग पर प्रतिबंध, उक्त अधिसूचना के कंडिका-2 के प्रावधानों के विपरीत लगाया गया है। अधिसूचना के तहत, दोनों लाभों/सुविधाओं पर प्रतिबंध केवल दूसरे या बाद के अपराध की स्थिति में ही लगाया जा सकता है, जो यहाँ लागू नहीं है। इसलिए, पहली बार अपराध करने वाले के लिए दोनों प्रतिबंध उक्त अधिसूचना के कंडिका-2 के प्रावधान के विपरीत हैं और इस प्रकार, विधि के अधिकार से रहित हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. अनुलग्नक पी/3 के आक्षेपित आदेश के अवलोकन से यह स्पष्ट है और इसमें कोई विवाद नहीं है कि मुख्य आयुक्त द्वारा आक्षेपित अधिसूचना के कंडिका-4 के अनुसार करदाता को दिनांक 12 अगस्त, 2009 को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि याचिकाकर्ता ने समानांतर चालानों की आड़ में/केंद्रीय उत्पाद शुल्क चालानों की आड़ के बिना और 13,58,026/- रुपये के केंद्रीय उत्पाद शुल्क का भुगतान किए बिना उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं को गुप्त रूप से हटाने में लिप्त रहा है और इस प्रकार उपरोक्त शुल्क की चोरी की है, जो 10 लाख रुपये से अधिक है। नोटिस में उन सुविधाओं पर प्रस्तावित प्रतिबंधों का भी उल्लेख है जो लगाए जाने हैं। करदाता को इसके

विरुद्ध अभ्यावेदन देने के लिए कहा गया था। सात दिनों के भीतर कार्रवाई प्रस्तावित की गई और उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया गया, और मामला 28 अगस्त, 2009 को तय किया गया। हालांकि, याचिकाकर्ता मुख्य आयुक्त के समक्ष व्यक्तिगत सुनवाई के लिए उपस्थित नहीं हुआ और मुख्य आयुक्त को फैक्स के माध्यम से सूचित किया गया कि उनके द्वारा 13.58 लाख रुपये की शुल्क राशि जमा कर दी गई है और उन्होंने मामले में नरम रुख अपनाने का अनुरोध किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. हमें याचिकाकर्ता की इस दलील में कोई दम नहीं लगता कि अधिसूचना के खंड (3) के प्रावधान के तहत खंड (2) में उल्लिखित प्रतिबंधों में से केवल एक ही याचिकाकर्ता पर लगाया जा सकता है। प्रतिबंध एक निर्दिष्ट अवधि के लिए लगाए गए हैं, यानी दिनांक 11.1.2010 से दिनांक 31.3.2010 तक, आक्षेपित आदेश के कंडिका 6(**i**) और (**ii**) के तहत, और उपरोक्त आदेश के कंडिका 6(**iii**) और (**iv**) के तहत **दिनांक** 11.1.2010 से दिनांक 28.2.2010 तक की अवधि के लिए। उक्त अवधि पहले ही समाप्त हो चुकी है। इस प्रकार, मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि शुल्क चोरी के बारे में कोई विवाद नहीं है और याचिकाकर्ता ने प्रस्तावित प्रतिबंधों के खिलाफ मुख्य आयुक्त के समक्ष विशेष रूप से आपत्ति नहीं की और

व्यक्तिगत सुनवाई में भी भाग नहीं लिया, हमारा मानना है कि अनुलग्नक पी/3 के आक्षेपित आदेश में कोई हस्तक्षेप आवश्यक नहीं है।

सही/-
धीरेन्द्र मिश्रा
न्यायाधीश

सही/-
आर.एन. चंद्राकर
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur